कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2024 /   दिनांकः–   2024

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय एंव उक्त निर्णय का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा किये गये अनुमोदन की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21 / स्थापना / 2022 / 4226–4232 दिनांक 7 नवम्बर 2022 द्वारा गठित भूमि एंव सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति, की अध्यक्षता में दिनांक 22 जुलाई 2024 को प्राधिकरण कार्यालय में सांय 04.00 बजे अयोजित की गई। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट–1 पर सलंग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: राजस्व ग्राम रूड़कली के खसरा संख्या 287, किस्म गै.मु. लाटा, कुल रकबा 33–05 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रूड़कली हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम रूड़कली के खसरा संख्या 287, किस्म बारानी–गै.मु. लाटा, कुल रकबा 33–05 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रूड़कली हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम रूड़कली में 100' x 100' वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रूड़कली हेतु आवंटन की मांग की है।

प्राधिकरण पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम रूड़कली के खसरा संख्या 287, किस्म गै.मु. लाटा, कुल रकबा 33–05 बीघा भूमि का मौका देखा गया। उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है। इस भूमि को पी.डब्ल्यू.डी. के नाम दर्ज खसरा संख्या 287 / 1, किस्म गै.मु. सड़क से 30 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। मौके पर डामर सड़क निर्मित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग प्रचलित मास्टर डवलपमेण्ट प्लान अनुसार **ग्रामीण क्षेत्र** प्रयोजनार्थ आरक्षित है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के परिपत्र दिनांक 03 / 06 / 2022 अनुसार राज्य सरकार की पूर्वानुमति से मास्टर प्लान के प्रतिबंधित उपयोग यथा – पार्क, खुला क्षेत्र इत्यादि को छोड़कर समस्त भू–उपयोग में राजकीय योजनाओं के तहत

RajKaj Ref
9271939

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

प्रस्तावित सार्वजनिक सुविधाएं यथा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र अनुज्ञेय किये जा सकते है। उक्त भूमि के सामने पी.डब्ल्यू.डी. की एम.डी.आर. श्रेणी की सड़क स्थित है, जिसका न्यूनतम मार्गाधिकार 160 फीट (48 मीटर) सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

प्राधिकरण के कैस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार उप स्वास्थ्य भवन व अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय हेतु स्थानीय निकाय के स्तर पर भूमि आवंटन की सीमा 500 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

अतः पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रूड़कली हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम रूड़कली में 100' x 100' वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, रूड़कली हेतु आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम रूड़कली के खसरा संख्या 287 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –1
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 2 :: राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299, किस्म बारानी–प्रथम, कुल रकबा 18–10 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, कोकुण्डा हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299, किस्म बारानी–प्रथम, कुल रकबा 18–10 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र कोकुण्डा हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम कोकुण्डा में 100' x 100' वर्ग फीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, कोकुण्डा हेतु आवंटन की मांग की है।

प्राधिकरण पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299, किस्म बारानी–प्रथम, कुल रकबा 18–10 बीघा का मौका देखा गया। उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है। इस भूमि को ग्राम पंचायत के नाम दर्ज खसरा संख्या 276, किस्म गै.मु. रास्ता से 30 फीट पहुॅच मार्ग प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग प्रचलित मास्टर डवलपमेण्ट प्लान अनुसार **ग्रामीण क्षेत्र** प्रयोजनार्थ आरक्षित है एवं मास्टर डवलपमेण्ट प्लान की किसी सड़क से प्रभावित नहीं है। उक्त भूमि ग्रामीण श्रेणी की सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार न्यूनतम 100 फीट किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03/06/2022 के अनुसार मास्टर प्लान के प्रतिबंधित भू–उपयोग को छोड़कर समस्त भू–उपयोग में प्रश्नगत भूमि पर पशु चिकित्सा उपकेन्द्र राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अनुज्ञेय किया जा सकता है।

प्राधिकरण के कैस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार उप स्वास्थ्य भवन व अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय हेतु स्थानीय निकाय के स्तर पर भूमि आवंटन की सीमा 500 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

अतः पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, कोकुण्डा हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम कोकुण्डा में 100' x 100' वर्ग फीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, कोकुण्डा हेतु आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –1
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजस्व ग्राम खातियासनी के खसरा संख्या 347/3, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 123 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, खातियासनी हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम खातियासनी के खसरा संख्या 347/3, किस्म बारानी–गै.मु. गोचर, कुल रकबा 123 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खातियासनी हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम खातियासनी में 100' x 100' वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, खातियासनी हेतु आवंटन की मांग की है।

प्राधिकरण पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम खातियासनी के खसरा संख्या 347/3, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 123 बीघा भूमि का मौका देखा गया। उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है तथा बबूल की झाड़िया खड़ी है। इस भूमि को प्राधिकरण स्वामित्व की ही भूमि खसरा संख्या 346, किस्म गै.मु. रास्ता से 30 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग प्रचलित मास्टर डवलपमेण्ट प्लान अनुसार **ग्रामीण क्षेत्र** प्रयोजनार्थ आरक्षित है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के परिपत्र दिनांक 03/06/2022 अनुसार राज्य सरकार की पूर्वानुमति से मास्टर प्लान के प्रतिबंधित उपयोग यथा – पार्क, खुला क्षेत्र इत्यादि को छोड़कर समस्त भू–उपयोग में राजकीय योजनाओं के तहत प्रस्तावित सार्वजनिक सुविधाएं यथा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र अनुज्ञेय किये जा सकते है।

प्राधिकरण के कैस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार उप स्वास्थ्य भवन व अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय हेतु स्थानीय निकाय के स्तर पर भूमि आवंटन की सीमा 500 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

अतः पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, खातियासनी हेतु 500 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

निर्णय

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम खातियासनी में 100' x 100' वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, खातियासनी हेतु आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम खातियासनी के खसरा संख्या 347/3 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –1
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व ग्राम पीथावास के खसरा संख्या 216, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 23–11 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, पीथावास हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम पीथावास के खसरा संख्या 216, किस्म बारानी–गै.मु. गोचर, कुल रकबा 23–11 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पीथावास हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम पीथावास में 100' x 100' वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, पीथावास हेतु आवंटन की मांग की है।

प्राधिकरण पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम पीथावास के खसरा संख्या 216, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 23–11 बीघा भूमि का मौका देखा गया। उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है। इस भूमि को खसरा संख्या 116/1, किस्म गै.मु. सड़क से 30 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग प्रचलित मास्टर डवलपमेण्ट प्लान अनुसार यू–2 प्रयोजनार्थ आरक्षित है एवं मास्टर डवलपमेण्ट प्लान की किसी सड़क से प्रभावित नहीं है। उक्त भूमि एम.डी.आर. श्रेणी की सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार न्यूनतम 160 फीट

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

किया जाना अपेक्षित है। यू–2 प्रयोजनार्थ भू–उपयोग की डी.सी.आर. अनुसार 18 मीटर मार्गाधिकार पर राजकीय डिस्पेन्सरी अनुज्ञेय है।

प्राधिकरण के कैस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार उप स्वास्थ्य भवन व अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय हेतु स्थानीय निकाय के स्तर पर भूमि आवंटन की सीमा 500 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

अतः पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, पीथावास हेतु 500 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम पीथावास में 100' x 100' वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, पीथावास हेतु आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम पीथावास के खसरा संख्या 216 राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पीथावास हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –1
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 469, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 99–05 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, दांतीवाड़ा हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 469, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 99–05 बीघा में से 500 वर्गमीटर भूमि में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, दांतीवाड़ा हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा में 100' x 100' वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, दांतीवाड़ा हेतु आवंटन की मांग की है।

प्राधिकरण पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 469, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 99–05 बीघा का मौका देखा गया। उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर बबूल की झाड़िया खड़ी है। प्रश्नगत भूमि को 30 फीट पहुँच मार्ग खसरा संख्या 468, किस्म गै.मु. रास्ता एवं आगे आबादी भूमि से प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग प्रचलित मास्टर प्लान अनुसार हाई–वे कॉरिडोर जोन (यू–3) प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा एम.डी.पी./जेड.डी.पी. की किसी सडक से प्रभावित नहीं है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03/06/2022 के अनुसार प्रस्तावित उपयोग अनुज्ञेय किया जा सकता है।

प्राधिकरण के कैस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद/विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार उप स्वास्थ्य भवन व अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालय हेतु स्थानीय निकाय के स्तर पर भूमि आवंटन की सीमा 500 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

अतः प्रकरण में **मार्गाधिकार का निर्धारण करते हुए** पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, दांतीवाड़ा हेतु 500 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण, भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

श्रीमान् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा में 100' x 100' वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, दांतीवाड़ा हेतु आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 469 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र MDP/ZDP-2031 के तहत् नियमानुसार मार्गाधिकार छोड़ते 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –1
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

RajKaj Ref 9271939

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 6 :: राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 356, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 381–12 बीघा में से 100 बीघा भूमि सजायाफ्ता बंदियों के लिए नवीन कारागृह निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 356, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 381–12 बीघा में से 100 बीघा भूमि सजायाफ्ता बंदियों के लिए नवीन कारागृह निर्माण हेतु आवंटन का निर्णय समिति द्वारा लिया जाना है।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रपत्र–स में सरकारी विभागों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 356, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 381–12 बीघा में से 100 बीघा भूमि सजायाफ्ता बंदियों के लिए नवीन कारागृह निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन की मांग की है।

प्राधिकरण तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 356, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 381–12 बीघा भूमि का मौका देखा गया। मौके पर भूमि खाली है। उक्त भूमि प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि है। आवेदित भूमि को मौका अनुसार 30 फीट पहुॅच मार्ग प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 358, गै.मु. रास्ता से प्राप्त हो रहा है। प्रस्तावित भूमि के पास गै.मु. नाडी स्थित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग प्रचलित मास्टर प्लान अनुसार ग्रामीण एरिया हेतु आरक्षित है। डी.सी.आर. अनुसार ग्रामीण एरिया में Public Utilities को on all roads after approval from competent authority दर्शाया गया है।

प्राधिकरण के कैस मैनेजमेण्ट सिस्टम पर दर्ज प्रकरणों अनुसार उक्त खसरे के सम्बन्ध में कोई वाद / विवाद लम्बित या विचाराधीन नहीं है। प्राधिकरण की अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवाप्ति की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधुपर महानगर का भी पत्र दिनांक 28 / 02 / 2024 को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की Writ Petition (Civil) No. 406/2013 Re-Inhuman Conditions in 1382 Prisons के आदेश दिनांक 30 / 01 / 2024 के निर्देशानुसार जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में स्थित कारागृह की क्षमताओं में वृद्धि की आवश्यकता इत्यादि के सम्बन्ध में गठित समिति का आयोजन दिनांक 26 / 02 / 2024 को श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जोधुपर महानगर, जोधुपर की अध्यक्षता में आयोजित की गई तथा इस प्रकरण के सम्बन्ध में भूमि आवंटन प्रक्रिया की वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट एवं आगामी बैठक में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में प्रोग्रेस रिपोर्ट सहित श्रीमान् आयुक्त महोदय को आवश्यक रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है।

राजस्थान भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 9.3 अनुसार राजकीय विभागों को भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से की जावेगी। राज्य सरकार द्वारा पोषित

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

मण्डल/निगम/उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर (50 प्रतिशत से कम नहीं) राशि पर आवंटन किया जा सकता है, जिसके लिए भी विभाग से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त भूमि पर प्राधिकरण की फार्म हाऊस योजना विकसित किये जाने की पत्रावली भी पृथक से चल रही है तथा सर्वेयर से उक्त भूमि का टोटल स्टेशन सर्वे होकर मानचित्र प्राप्त हुआ है।

अतः प्रकरण में मार्गाधिकार का निर्धारण, उक्त भूमि पर प्राधिकरण की योजना विकसित की जानी है अथवा नवीन कारागृह हेतु भूमि आवंटन की जानी है, के सम्बन्ध में प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रपत्र–स में सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 356, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 381–12 बीघा में से 100 बीघा भूमि सजायाफ्ता बंदियों के लिए नवीन कारागृह निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 356 में सजायाफ्ता बंदियों के लिए नवीन कारागृह निर्माण हेतु 100 बीघा भूमि निःशुल्क आवटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –1
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 7 :: राजस्व ग्राम सिनली खसरा संख्या 81 में रकबा 01 बीघा भूमि अम्बेडकर भवन प्रयोजनार्थ सिनली को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम सिनली खसरा संख्या 81 में रकबा 01 बीघा भूमि अम्बेकर भवन प्रयोजनार्थ सिनली को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

विकास अधिकारी पंचायत समिति, धवा, जोधपुर द्वारा भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सिनली खसरा संख्या 81 में रकबा 01 बीघा भूमि अम्बेकर भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका–स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। ग्राम सिनली के खसरा संख्या 81 रकबा 48.2627 है. किस्म गे.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नमा दर्ज हैं। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

का भू–उपयोग ग्रामीण एरिया प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। जी.आई.एस. रेकर्ड अनुसार आवेदित भूमि ओ.डी. आर. रोड़ पर स्थित हैं। ओ.डी.आर. रोड़ का मार्गाधीकार 120 फीट रखा जाना हैं। Rural Area के DCR में Public & Semi Public Utililies मे Govt. Building का पृथक से वर्णन नहीं हैं। तथापि Public Utililies की अनुज्ञेयता On All Road After Approval From Competent Authority अंकित हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्रतिबंधित भू–उपयोग का छोड़कर बाकी सभी भू–उपयोग में राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं अनुज्ञेय किया जा सकेंगे। आदेश दिनांक 03.06.2022 अनुसार स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर निर्णय की राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिनली के खसरा संख्या 81 में काई वाद लंबित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम सिनली के खसरा संख्या 81 में रकबा 01 बीघा भूमि अम्बेकर भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

विकास अधिकारी पंचायत समिति, धवा, जोधपुर द्वारा भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सिनली खसरा संख्या 81 में रकबा 01 बीघा भूमि अम्बेकर भवन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	जिला परिषद से राजस्व ग्राम सिनली खसरा संख्या 81 रकबा 01 बीघा भूमि अम्बेडकर भवन हेतु सक्षम स्वीकृति की प्रति मंगवायी जावे।	उपायुक्त जोन –3

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजस्व ग्राम लूणावास कल्ला खसरा संख्या 314 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम लूणावास कल्ला खसरा संख्या 314 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र लूणावास कल्ला प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम लूणावास कल्ला खसरा संख्या 314 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र लूणावास कल्ला प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका–स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम लूणावास कल्ला खसरा संख्या 314 में रकबा 8.8360 हैक्टयर किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रैकर्ड में

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

प्राधिकरण के नाम दर्ज है। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग हाईवे कॉरिडोर जोन यू.3 प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। आयोजना रेकर्ड अनुसार जी.आई.एस. पर समीपीय कमिटमेन्ट उपलब्ध नहीं हैं। जिसकी डीसीआर अनुसार एवम् राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार आवेदित उपयोग अनुज्ञेय हैं। प्रकरण में विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम में कोई वाद लंबित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम लूणावास कल्ला खसरा संख्या 314 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र लूणावास कल्ला प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम लूणावास कल्ला खसरा संख्या 314 में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र लूणावास कल्ला प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम लूणावास कल्ला खसरा संख्या 314 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को मौका स्थिति अनुसार 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 9 :: राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 461 किस्म गै.मु. भाखर में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ सालावास को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 461 किस्म गै.मु. भाखर में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ सालावास को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 461 गै.मु. भाखर में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका–स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम सालावास के खसरा संख्या 461 रकबा 30.6931 किस्म गै.मु. भाखर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि ZDP/MDP अनुसार Co-Operate Park मे स्थित हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार प्रतिबंधित भू–उपयोग का छोड़कर बाकी सभी भू–उपयोग में राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाएं अनुज्ञेय किया जा सकेंगे। विधि शाखा अनुसार ग्राम सालावास के खसरा संख्या 461 में काई वाद लम्बित नहीं हैं।

अतः राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 461 गै.मु. भाखर सालावास में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 461 गै.मु. भाखर में रकबा 10000 वर्गफीट भूमि राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 461 राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को मौका स्थिति अनुसार 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 10 :: कार्यालय संचालन सी.डी.पी.ओ केरू के खसरा सख्या 812 में भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	कार्यालय संचालन सी.डी.पी.ओ केरू के खसरा सख्या 812 में भूमि आवंटन के संबंध में अभिशंषा की गई है।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवंटन नीति–2015 के तहत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 में कार्यालय संचालन सी.डी.पी.ओ केरू हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मॉग की हैं।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 रकबा 10429–15 बीघा किस्म गैर मुमकिन भाकर राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। प्रस्तावित भूमि का मौका सरपंच महोदय के साथ देखा गया प्रस्तावित भूमि पंचायत समिति केरू को आवंटित भूमि के पास में स्थित हैं तथा मौके पर खाली हैं। एवं प्रस्तावित भूमि केरू जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार CPDO office use is permissible as reported on para 22 and UDH order dt 03 june22. So subject to maintaining the100 ft ROW of approach road (VR), the matter is being put for kind perusal and forwarding for further action.

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार कुल 12 वाद–विवाद विचाराधीन है।

मौके पर वाद विवाद के संबंध में पटवारी से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि के पास हाल ही में पचांयत समिति केरू के लिए भूमि आवंटित की गई है एवं मौके पर भूमि खाली है प्रस्तावित भूमि के मौके पर कोई वाद विवाद नही है।

अवाप्ति शाखा के रिपोर्ट अनुसार राजस्व तहसील जोधपुर के राजस्व ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 के रकबा 1000 व.मी. भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 में वाद–विवाद लंबित है।

राजकीय विभागो को उनके कार्यालय इन्फ्राट्राक्च्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम केरू के खसरा सख्या 812 किस्म गै.मु. भाकर में कार्यालय संचालन सी.डी.पी. ओ केरू हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पित निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवंटन नीति–2015 के तहत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 में कार्यालय संचालन सी.डी.पी.ओ केरू हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मॉग की हैं।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	प्रकरण में कार्यालय संचालन सी.डी.पी.ओ केरू हेतु वैकल्पिक स्थान चिन्हित कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।	उपायुक्त जोन –5

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में खेल मैदान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 04 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में खेल मैदान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने की अभिशंषा की है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 रकबा 1066–07 में से खेल मैदान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 04 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रा.उ.मा. विद्यालय उदयसर के पास स्थित खाली भूमि खेल मैदान हेतु उपयुक्त है जिसकी पालना में मौका देखा गया मौके पर भूमि रिक्त है जो विद्यालय के पास ही स्थित है उक्त भूमि इसी खसरे में स्थित है खसरा सख्या 157 रकबा 1066.0700 हैक्टेयर किस्म गै.मु.गोचर में स्थित है उक्त भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है प्रस्तावित भूमि हेतु पहुच मार्ग उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम उदयसर का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित हैं। ग्रामीण क्षेत्र की डीसीआर अनुसार 18मी. व अधिक मार्गाधिकार पर Play Ground अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम उदयसर के संबंध में कोई वाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा के रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर खसरा संख्या 157 कुल रकबा 4 बीघा भूमि की पत्रावली भूमि अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिए भूमि आवंटन नीति–2015 में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नही है।

अतः ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में खेल मैदान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 04 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

निर्णय

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 रकबा 1066–07 में से खेल मैदान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 04 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में खेल मैदान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 04 बीघा भूमि निःशुल्क आवटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 284/1 किस्म गै.मु. मगरा में श्मशान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज /टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 284/1 किस्म गै.मु. मगरा में श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 284/1 किस्म गै.मु. मगरा में श्मशान हेतु 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 284/1 रकबा 140.7818 हेक्टर यानि 869–14 बीघा किस्म गै.मु. मगरा जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर स्वामित्व की भूमि है में स्थित है मौके पर प्रस्तावित भूमि श्मशान के रूप में उपयोग में आ रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। एम डी पी 2031 के बिन्दु संख्या 5.6.5 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में श्मशान भूमि अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 284/1 कि भूमि से संबंधित कोई वाद–विवाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा के रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 284/1 कुल रकबा 01 बीघा श्मशान भूमि हेतु पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिए आवंटन नीति– 2015 में श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 284/1 किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक श्मशान हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 284/1 किस्म गै.मु. मगरा में श्मशान हेतु 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 284/1 में श्मशान प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम राजासनी के खसरा संख्या 03/2 में सार्वजनिक पार्क हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज /टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम राजासनी के खसरा संख्या 03/2 में सार्वजनिक पार्क प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने की अभिशंषा की गई है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तिंवरी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम राजासनी के खसरा संख्या 03/2 में सार्वजनिक पार्क हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम राजासनी पटवार हल्का चौपासनी चारणान् के खसरा सख्या 3/2 रकबा 48.5460 हैक्टेयर भूमि की किस्म गै.मु.गोचर है उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण का स्वामित्व है मौके पर भूमि खाली है। प्रस्तावित स्थल का पंहुच मार्ग ग्राम राजासनी के खसरा संख्या 03/2 में से कच्चा रास्ता चल रहा है। खसरा संख्या 3/2 प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं एवं किस्म गै.मु. गोचर है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग Rural Area है तथा DCR Rural भू–उपयोग में Public utility सभी सड़क पर अनुज्ञेय है परन्तु डीसीआर में पब्लिक पार्क का अलग से उल्लेख नही है।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम राजासनी के खसरा संख्या 03/2 के संबंध में कोई वाद लंबित नही है।

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिए आवंटन नीति–2015 में पार्क हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नही है।

अतः ग्राम राजासनी के खसरा संख्या 03/2 किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक पार्क प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाए जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तिंवरी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम राजासनी के खसरा संख्या 03/2 में सार्वजनिक पार्क हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम राजासनी के खसरा संख्या 03/2 में सार्वजनिक पार्क हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन हेतु समस्त तथ्यों का परीक्षण एंव मौका मुआयना पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावें।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 14 :: ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 680 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 01 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 680 में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 680 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 680 रकबा 161–10 बीघा किस्म–गै.मु. गोचर प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली हैं। प्रस्तावित भूमि के पास खसरा संख्या 681 किस्म – गै.मु. आबादी जो ग्राम पंचायत के अधीन भूमि हैं को श्मशान के रूप में उपयोग ली जा रही है ग्राम पंचायत द्वारा खसरा संख्या 681 के पास स्थित भूमि खसरा सं. 680 में से श्मशान की भूमि आवंटन की मांग की गई है।

RajKaj Ref 9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार Marked location का भू–उपयोग MDP-2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। मास्टर प्लान की पुस्तिका के बि.स. 5.6.5 अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर यू–1,यू–2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जा सकेगे।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 680 के संबंध में कोई वाद–विवाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा के रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर खसरा संख्या 680 कुल रकबा 1 बीघा की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिए आवंटन नीति– 2015 में श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 680 किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक श्मशान हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 680 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 680 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 01 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 15 :: ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 01 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 रकबा 172.6143 हैक्टेयर किस्म गै.मु.गोचर का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है प्रस्तावित भूमि तक पहुंच मार्ग कच्चा ग्रेवल उपलब्ध है मोके पर भूमि खाली है उक्त भूमि के पास ग्राम गोकलनगर के खसरा सख्या112 किस्म गै.मु.नदी में गोकलनगर के निवासियो द्वारा भूमि श्मशान के उपयोग में ली जा रही है सरंपच प्रतिनिधि करनाराम चौधरी एवं ग्राम वासियो ने बताया कि नदी की भूमि में श्मशान हेतु कोई विकास कार्य नही होने के कारण खसरा सख्या 157 ग्राम उदयसर में श्मशान हेतु भूमि आवंटन की मांग की है ग्राम गोकलनगर ग्राम पचांयत उदयसर में ही आता है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार Marked location का भू–उपयोग MDP.2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। मास्टर प्लान की पुस्तिका के बि.स. 5.6.5 अनुसार शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर यू–1,यू–2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जा सकेगे।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 के संबंध में कोई वाद–विवाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा के रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर खसरा संख्या 157 सार्वजनिक श्मशान रकबा 1 बीघा सार्वजनिक श्मशान की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिए आवंटन नीति– 2015 में श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में सार्वजनिक श्मशान हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 01 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 16 :: ग्राम पालडी मागलिया के खसरा संख्या 117 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पालडी मागलिया के खसरा संख्या 117 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर ग्राम पालडी मागलिया के खसरा संख्या 117 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पालडी मांगलिया के खसरा सख्या 117 रकबा 523–04 बीघा किस्म गै.मु.भाकर है राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है एवं पहुच मार्ग उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार मास्टर / जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार अनुज्ञेय है आवेदित भूमि को उपलब्ध हो रहा पहुच मार्ग की सुनिश्चिता जोन स्तर पर की जाकर अग्रिम की जानी अपेक्षित है। आवेदित भूमि ग्रामीण सड़क पर स्थित है जिसका न्युनतम मार्गाधिकार 100 फीट रखा जाना अपेक्षित है।

ऑन लाईन केस मेनेजमेंट सिस्टम के अनुसार पालडी मागंलिया के खसरा सख्या 117 से संबंधित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है।

अवाप्ति शाखा के रिपोर्ट अनुसार ग्राम पालडी मागंलिया के खसरा सख्या 117 की भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 05 जुलाई, 2021 अनुसार उप स्वास्थ्य भवन हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम पालडी मागंलिया के खसरा सख्या 117 किस्म गै.मु.भाकर में पशु चिकित्सालय हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

पशुपालन विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर ग्राम पालडी मागलिया के खसरा संख्या 117 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 100X100 वर्गफीट भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम पालडी मागलिया के खसरा संख्या 117 में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 17 :: ग्राम राजवा के खसरा संख्या 225 में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम राजवा के खसरा संख्या 225 में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण द्वारा निर्णय किया जाएगा।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पोपावास द्वारा आवंटन नीति 2015 के आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम राजवा के खसरा संख्या 225 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 08 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम राजवा के खसरा संख्या 225 में स्थित है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 225 रकबा 467—16 बीघा किस्म गै.मु. पहाड का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज हैं। प्रस्तावित भूमि पर मौके पर श्मशान के रूप में भूमि उपयोग ली जा रही हैं। प्रस्तावित भूमि के आगे डामर सडक चल रही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03/06/2022 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी भू—उपयोगों में श्मशान इत्यादि जनोपयोगी सुविधाएं अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। इसके लिए भू—उपयोग परिवर्तन की आवश्कता नही होगी व राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार आवंटन किया जा सकेगा।

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम राजवा के खसरा संख्या 225 से सम्बंधित कोई वाद—विवाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा के रिपोर्ट के अनुसार ग्राम राजवा खसरा संख्या 225 कुल रकबा 08 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति—2015 में संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान हैं।

अतः ग्राम राजवा के खसरा संख्या 225 किस्म गै.मु. पहाड में सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पोपावास द्वारा आवंटन नीति 2015 के आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम राजवा के खसरा संख्या 225 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 08 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम राजवा के खसरा संख्या 225 में सार्वजनिक श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन —5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

RajKaj Ref 9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 18 :: पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन के निर्णय में संशोधन बाबत्।

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 को पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु निम्न प्रकरणों में 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया जो कि निम्नानुसार है।

क्र.स.	प्रयोजनार्थ	आवेदित रकबा	ग्राम व ख.स.	विशेष विवरण
1.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	100X100	ग्राम बावरली, खसरा सख्या 555	प्रस्ताव सख्या 12 के निर्णयानुसार 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
2.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	100X100	ग्राम चावण्डा, खसरा सख्या 71	प्रस्ताव सख्या 11 के निर्णयानुसार 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	100X100	ग्राम पोपावास, खसरा सख्या 135	प्रस्ताव सख्या 14 के निर्णयानुसार 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रकरणों में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2021 के अनुसार उप स्वास्थ्य भवन हेतु 500 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः उपर्युक्त सारणी में वर्णित प्रकरणों में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के स्थान पर 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन किए जाने के संशोधन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	उपरोक्त सारणी अनुसार प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 28.02.2024 में लिए गये निर्णयों में संशोधन करते हूए सारणी के क्रंम संख्या 1, 2 एंव 3 में वर्णित ग्राम एंव खसरा सं. में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर के स्थान पर 500 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 19 :: राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/33 केवी जीएसएस निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवी जीएसएस निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में 132/ 33 केवी जीएसएस निर्माण हेतु 3.5 हैक्टेयर भूमि आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी) जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवी जीएसएस निर्माण हेतु आवंटन की मांग की हैं।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 कुल क्षेत्रफल 70.17 बीघा भूमि किस्म गै.मु. मंगरा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि के कुछ हिस्से में पत्थर पड़े हुए है एवं पिछे के हिस्से में पत्थ्रो की दिवार बनाकर एक गेट लगा हुआ है ।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का डक्च2031 अनुसार भू–उपयोग मुख्यतः यू–2 व आशिंक आवासीय है। उक्त भूमि डक्च की 60 फीट संडक पर स्थित है। डीसीआर अनुसार यू–2 उपयोग में इलेक्ट्रीक पॉवर प्लान्ट 132/33/220/440 केवी जीएसएस 18 मीटर व अधिक सडक पर अनुज्ञेय है तथा रहवासीय भू–उपयोग डीसीआर में जीएसएस का अलग से उल्लेख नही है परन्तु यूडीएच ऑर्डर दिनांक 3.6.2022 के अनुसार राज्य में समस्त शहरों के डक्च – ंक्च में प्रस्तावित भू–उपयोगो यथा पार्क, खुले स्थान, ईको संसेटीव जोन, प्लान्टेशन जोन एवं इकॉलोजीकल जोन के अलावा नगरीय क्षेत्र मे सभी उपयोगो में राजकीय भूमि पर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।

उक्त प्रकरण में निर्धारित प्रपत्र में जेडीए की वैब साईट पर दिनांक 14.3.2024 आपत्ति सूचना जारी की जा चुकी है निर्धारित समय में 3 आपत्ति प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि उक्त खसरे में विद्यालय, आगनबाडी, पंचायत भवन व कच्ची बस्ती स्थित है जिसने उपर से हाईटेन्सन लाईन गुजरती है तो आम जन को खतरा हो सकता है। आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई हेतु बुलाया गया परन्तु निशचित समयावधि में आपत्तिकार्ता उपस्थित नही हुए। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि सडक के बायी तरफ स्थित है, जबकि आपत्ति में अंकित सभी इमरातें सडक के दायी तरफ स्थित है। विद्यृत लाईनों के संबंध में सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की रहेगी।

भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 12.6.2024 के प्रस्ताव संख्या 29 में लिये गये निर्णय अनुसार ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में से 2000 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया, जिसकी अनुपालना में दिनांक 9.7.2024 को मांग पत्र जारी किया गया। इस मांग पत्र के जवाब में अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी) राराविप्रानि जोधपुर द्वारा अपने पत्रांक 284 दिनांक

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

10.7.2024 से निवेदन किया गया कि 132/33 केवी सब स्टेशन की स्थापना हेतु हमें 35000 व.मी (3.5 हैक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है। अतः हमें 3.5 हेक्टेयर भूमि उक्त खसरें में आवंटित की जाये तथा साथ ही यह भी निवेदन किया है कि भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर तथा 2.5 प्रतिशत की लीज दर पर आवंटित की जाये।

अतः भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 12.6.2024 के प्रस्ताव संख्या 29 में ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में से 2000 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन के निर्णय को निरस्त किया जाकर राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवी जीएसएस निर्माण हेतु अतिक्रमण हटाने के पश्चात आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर तथा 2.5 प्रतिशत की लीज दर पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत आवंटन करने के निर्णय हेतु प्रकरण समिति समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

अधीक्षण अभियंता (टी एण्ड सी) जोधपुर द्वारा प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवी जीएसएस निर्माण हेतु आवंटन की मांग की हैं।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	• भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 12.6.2024 के प्रस्ताव संख्या 29 में ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में से 2000 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन के निर्णय को निरस्त किया जाकर राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में 3.5 हेक्टेयर भूमि 132/ 33 केवी जीएसएस निर्माण हेतु अतिक्रमण हटाने के पश्चात नियमानुसार सशुल्क आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण सक्षम स्वीकृति राज्य सरकार को भिजवाया जावें। • संबंन्धित विभाग इस आशय की अण्डर टेंकिग देता है कि यदि राज्य सरकार 50 प्रतिशत की छूट नही देने का निर्णय करती है तो वह पूर्ण राशि जमा कराने को तैयार है तो संबंन्धित विभाग को प्रस्तावित भूमि पर कार्य करने की एन. ओ.सी. प्रदान की जावे।	उपायुक्त जोन –6
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

प्रस्ताव संख्या 20 :: ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु भूमि आवंटन की अभिंशषा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर एवं प्रधानाचार्य राउमावि भैसेर चावण्डियाली द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 20,000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित स्थल ग्राम भैंसेर चावण्डियाली के खसरा सख्ंया 53 रकबा 79.5449 हैक्टेयर किस्म गै.मु.गोचर में स्थित है खसरा सख्ंया 53 का राजस्व रेकर्ड अनुसार स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है प्रस्तावित भूमि तक पहुँच मार्ग डामर सड़क उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र प्रयोजनार्थ आरक्षित है एवं मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान की किसी सड़क से प्रभावित नही है व PWD की ग्रामीण श्रेणी की सड़क से पहुच उपलब्ध हो रही है मास्टर डवलपमेंट प्लान की ग्रामीण क्षेत्र की DCR अनुसार 24 मीटर एवं अधिक मार्गाधिकार पर उच्च माध्यमिक स्कुल अनुज्ञेय है अतः पहुच मार्ग की सुनिनिश्चता पर आवेदित उपयोग अनुज्ञेय किया जा सकता है।

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 से सम्बंधित कोई वाद–विवाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा के रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 कुल रकबा 20,000 वर्गमीटर भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक :– प.3(55)नविवि/3/ 2002 पार्ट जयपुर दिनांकः 05 जुलाई, 2021 के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु सभांगीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

अतः ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 किस्म गै.मु.गोचर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर एवं प्रधानाचार्य राउमावि भैसेर चावण्डियाली द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम भैसेर चावण्डियाली के खसरा संख्या 53 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 20,000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	प्रकरण में राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय हेतु पूर्व में कितनी भूमि आवंटित है स्थिति स्पष्ट करते हूए प्रकरण आगामी में बैठक में रखा जावे।	उपायुक्त जोन –5

प्रस्ताव संख्या 21 :: ग्राम भैसेर कुतडी के खसरा संख्या 97 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज /टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम भैसेर कुतडी के खसरा संख्या 97 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिंशषा की जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर–ग्रामीण द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम भैसेर कुतडी के खसरा संख्या 97 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1618 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भैंसेर कुतडी के खसरा सख्या 97 रकबा 51.3707 हैक्टेयर किस्म गै.मु.मगरा में स्थित है राजस्व जमांबदी अनुसार खसरा सख्या 97 का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है प्रस्तावित भूमि स्कुल के पास में स्थित है मौके पर उपस्वास्थ्य केन्द्र लिखा हुआ भवन बना हुआ है सरंपच ग्राम भैसेंर कोटवाली ने बताया कि उक्त सभा भवन है जो कि भामाशाओं के सहयोग से बना हुआ

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र प्रयोजनार्थ आरक्षित है एवं मास्टर डवलपमेंट प्लॅान/ जोनल डवलपमेंट प्लान की किसी सड़क से प्रभावित नही है व PWD की ODR श्रेणी की सड़क से पहुॅच उपलब्ध हो रही है राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.06.2022 अनुसार मास्टर डवलपमेंट प्लान के प्रतिंबधित भू–उपयोग को छोडकर समस्त भू–उपयोग में राज्य सरकार को योजनाओं के अंतर्गत राजकीय भूमि पर प्रस्तावित राजकीय चिकित्सा अनुज्ञेय किया जा सकता है इसके लिए भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नही होगी ऐसे प्रकरणों में समस्त क्षेत्रफल हेतु स्थानीय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर, निर्णय की राज्य सरकार से स्वीकृति उपरांत प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार आवंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी अतः उक्त आदेश के क्रम में राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत ग्रामीण क्षेत्र प्रयोजनार्थ भू–उपयोग में उप स्वास्थ्य केन्द्र अनुज्ञेय किया जा सकता है।

ऑनलाईन केस मैनेजमेंट सिस्टम अनुसार ग्राम भैसेर कुतडी के खसरा संख्या 97 से सम्बंधित कोई वाद–विवाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा के रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भैसेर कुतडी के खसरा संख्या 97 कुल रकबा 1618 वर्गमीटर की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं हैं।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक :– प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांकः 05 जुलाई, 2021 के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

अतः ग्राम भैसेर कुतडी के खसरा संख्या 97 किस्म गै.मु.मगरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर–ग्रामीण द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम भैसेर कुतडी के खसरा संख्या 97 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1618 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम भैसेर कुतडी के खसरा संख्या 97 में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित किया जावें।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 22 :: राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 569 किस्म बारानी 2 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ नन्दवान को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 569 किस्म बारानी 2 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ नन्दवान को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम सालावास, जोधपुर द्वारा भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम नन्दवान खसरा संख्या 569 किस्म बारानी 2 में रकबा 1000 मीटर भूमि 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ नन्दवान प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका–स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 569 रकबा 87.98 हैक्टर किस्म बारानी 2 जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि भू–उपयोग कॉरपोरेट पार्क प्रयोजनार्थ आरक्षित है एवम् जोनल मास्टर प्लान की 36 मीटर सड़क से प्रभावित हैं। उत्तर दिशा से 18 मीटर की जोनल प्लान की सड़क गुजर रही हैं। मास्टर प्लान की कॉरपोरेट पार्क की डी.सी. आर. अनुसार Govt./Public Utilities Use में On All Roads After Approval From

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

Competent Authority का उल्लेख किया गया हैं। अर्थात Govt. Use Of Sub. Station अनुज्ञेय हैं।

अतः राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 569 किस्म बारानी 2 नन्दवान में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम सालावास, जोधपुर द्वारा भूमि आंवटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम नन्दवान खसरा संख्या 569 किस्म बारानी 2 में रकबा 1000 मीटर भूमि 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ नन्दवान प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 569 गौचर भूमि में 33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटित किया जावे।	उपायुक्त जोन –3
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2024/ दिनांकः– 2024

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ....

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

RajKaj Ref
9271939

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved

<u>परिशिष्ट –1</u>

श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 22 जुलाई, 2024 को सांय 04.00 बजे आयोजित भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

01. श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. डॉ हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री जयपाल सिंह राठौड , उपायुक्त जोन–3/4 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्रीमति कचंन राठौड, उपायुक्त जोन –1/2, उप सचिव एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री राजपाल यादव , उपायुक्त जोन–5/6, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री जगदीश कुमार, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्री महेन्द्रसिंह पंवार ,निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
08. श्री भूपेन्द्र कुमार ,वरिष्ठ नगर नियोजक , जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

RajKaj Ref
9271939

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2024.07.25 21:28:51 IST
Reason: Approved